राजस्थान सरकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः– एफ.5(4)/18/सम/वाकायो/डीईएस/2015–16/20313 दिनांकः–19/5/2015

परिपत्र

आमजन को बुनियादी मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाने में सांख्यिकी समंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विभाग द्वारा राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों के सृजन एवं आवश्यक सांख्यिकी का प्रकाशन किया जा रहा है। समयबद्ध नवीनतम समंकों की उपलब्धता से राज्य के नीति–निर्धारण, विकास योजनाओं के निर्धारण एवं उनके क्रियान्वयन तथा बुनियादी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को अधिक तर्कसंगत एवं उपयोगी बनाया जा सकता है।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में सम्पादित की जाने वाली विभिन्न सांख्यिकी गतिविधियों से सम्बन्धित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्य योजना का निर्धारण दिनांक 11–5–2015 को आयोजित बैठक में किया गया है। इस कार्य योजना में वर्ष 2015–16 के दौरान जिला एवं ब्लॉक स्तर से प्रतिमाह किए जाने वाले कार्यों, प्रकाशनों एवं प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं को समावेशित किया गया है। कार्य योजना का सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों द्वारा समयबद्ध अनुपालन किया जाना है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठकों में इस कार्य योजना के आधार पर विभिन्न जिलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का आंकलन किया जाएगा एवं वर्ष के अन्त में इस आधार पर सम्बन्धित अधिकारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में तद्नुसार प्रविष्टि भी अंकित की जाएगी।

उक्त कार्य योजनाओं की प्रति विभागीय वैबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से यह भी अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों को उपरोक्तानुसार कार्यो का आवंटन एवं सम्पूर्ण वर्ष में की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी कर उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करावें।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,

क्रमांकः– एफ.5(4)/18/सम/वाकायो/डीईएस/2015–16/20314-70 दिनांकः–19/5/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक/सांख्यिकी अधिकारी, निदेशालय, मुख्यालय ।
2. समस्त उप / सहायक निदेशक, कार्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी, जिला कलेक्ट्रेट .... ।
3. लेखाधिकारी, निदेशालय, मुख्यालय
4. एसीपी, प्रोग्रामर निदेशालय, मुख्यालय ।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।

संयुक्त निदेशक (समन्वय),